

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर
(निर्णय बर्डजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

(1) अपील संख्या :-123/2016/भीलवाड़ा (2016/00096)

1. छोटूलाल पुत्र हजारी माली निवासी तहसील व जिला भीलवाड़ा

अपीलांट

बनाम

1. वाईनूर खां पुत्र सद्दल खां कायमखानी
2. भूरे खां पुत्र सद्दल खां कायमखानी
3. हबीब खां पुत्र सद्दल खां कायमखानी
4. सलीम खां पुत्र फैययाज मोहम्मद कायमखानी
5. श्रीमती रहमत वेगम वेवा फैययाज मोहम्मद कायमखानी
समस्त निवासी मेजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल
7. ग्राम पंचायत मेजा जरिये सचिव, ग्राम पंचायत मेजा पंचायत समिति
माण्डल जिला भीलवाड़ा

रेस्पोंडेंटस



अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 14.05.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 03/2016.

उपस्थित:-

1. श्री घनश्याम सिंह लखावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पों संख्या 1 लगायत 3
3. श्री मोहम्मद इकबाल अभिभाषक रेस्पों सं0 4 एवं 5
4. राजकीय अभिभाषक श्री वी0एस0 शेखावत

(2) अपील संख्या :-68/2018/भीलवाड़ा (2018/00068)

1. सलीम खां पुत्र फैययाज मोहम्मद
2. श्रीमती रेहमत वेगम पत्नी फैययाज मोहम्मद
जाति कायमखानी, निवासीगण मेजा, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

अपीलांटस

बनाम

1. वाईनूर खां पुत्र सद्दल खां
2. भूरे खां पुत्र सद्दल खां
3. हवीद खां पुत्र सद्दल खां
समस्त जाति कायमखानी निवासीगण मेजा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
4. राज0सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल जिला भीलवाडा
5. ग्राम पंचायत मेजा जरिए सरपंच

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल, जिला भीलवाडा दिनांक 14.05.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 03/2016.

उपस्थित:-

1. सविता चौहान, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक रेस्पों संख्या 1 से 3
3. रेस्पों सं 4 अनुपस्थित
4. राजकीय अभिभाषक श्री वी0एस0 शेखावत ।

निर्णय

दिनांक :- 16.12.2019

अपीलांट ने दो अलग-अलग अपीलें विद्वान उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2016 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं । दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने तथा कानूनी विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे । xx

- 1- दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पों सं 1 वाई नूर खां पुत्र सद्दल खां द्वारा उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष ग्राम पंचायत मेजा द्वारा स्वीकृत नामा0सं0 1312 दिनांक 02.10.1999 एवं 1765 दिनांक 22.09.2004 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किये कि विवादित आराजी ख0नं0 422 लगायत 437, 472, 473, 1759 कुल किता 19 कुल रकवा 45 बीघा 9 बिस्वा व आराजी ख0नं0 2816/421 वर्तमान में शामिलित खाते में अपीलार्थी व रेस्पों सं 3 लगायत 6 के दर्ज है। उक्त आराजी पूर्व में सद्दल खां वल्द बहादुर खां के नाम दर्ज थी। सद्दल खां की मृत्यु के बाद जो नामा0 रेस्पों सं 2 (ग्राम पंचायत मेजा) द्वारा अपीलार्थी व रेस्पों सं 3 लगायत 6 के नाम खोला गया, वो विधि विरुद्ध होने से निरस्त किया जावे क्योंकि अपीलार्थी व रेस्पों सं 3



17/12/19
जिला अधिकारी अजमेर

लगायत 6 जाति से मुसलमान होकर सुन्नी सम्प्रदाय में शामिल है। प्रश्नगत नामान्तरकरण मुस्लिम सुन्नी हनीफी विधि अनुसार नहीं खोलकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत खोले गये हैं, जो निरस्तनीय है। अधीन्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील गवाहान के शपथ पत्र व संबंधित उत्तराधिकार प्रावधानों का अवलोकन व अभि० अपीलार्थी की बहस के आधार पर दोनों नामा० हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत खोले गये मानते हुए अधीन्यायालय ने ग्राम मेजा के नामा० सं० 1312 दिनांक 02.10.99 व 1765 दिनांक 22.09.04 को निरस्त कर उक्त प्रश्नगत आराजी का अपीलार्थी वाईनूर खां पिता सद्दल खां, भूरे खां वल्द सद्दल खां व हबीब खां वल्द सद्दल खां कायमखानी निवासी मेजा के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। अधीन्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.16 से अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

- 2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को नोटिस जारी किये गये। अपील संख्या 123/2016 (2016/00096), अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) के रेस्पोंडेंट्स के अभिभाषका अनुपस्थित। अपील संख्या 3/2017 (2017/0001) के रेस्पों संख्या 1 के उपस्थित होने पर तथा अधीन्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पों की बहस सुनी गई। xx



17/10/16
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

सर्वप्रथम हम अपील संख्या 123/2016 (2016/00096) के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मि०अ० एवं प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत एवं अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) में अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मि०अ० का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत पर अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की ताहिद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि प्रार्थी की कयशुदा खातेदारी की भूमि है तथा उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के आदेश से प्रार्थी पूर्णतया व्यथित एवं पीडित पक्षकार है क्योंकि प्रार्थी के विवादित भूमि बाबत अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस कारण अपील प्रस्तुत करने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है। हमने अपीलांट अभि० की बहस पर मनन किया क्योंकि प्रार्थी विवादित आराजी का क्रेता होकर अपना अधिकार रखता है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात दोनों अपीलों में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि०अ० पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया। प्रार्थियों ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि०अ० स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

- 4- अपीलांट की बहस गुणावगुण पर सुनी गई। अपील संख्या 123/2016 (2016/00096) में अपीलांट अभि० श्री जी०एस० लखावत ने अपीलमीमें

में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि वर्तमान रेस्पों सं० 4 व 5 ने विवादित आराजी में अपना हिस्सा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय कर दिया है। इसके बावजूद भी अधी० न्याया० में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलान्ट सद्भावी केता है और विधिवत प्रतिफल अदा कर आराजी क्य की है। विवादित आराजी बावत एक राजस्व वाद भी विचाराधीन है, जिसमें अपीलार्थी बतौर पक्षकार है लेकिन नामा० की अपील में अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया है और उसे साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी० अपीलीय न्याया० के समक्ष दो नामा० के विरुद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। जो संधारण योग्य ही नहीं थी। कानूनन दो नामा० के विरुद्ध पृथक-पृथक दो अपीलें प्रस्तुत की जानी चाहिये थी। बहस में आगे कथन किया कि जब विवादित आराजी बावत राजस्व वाद विचाराधीन है, जिसमें पक्षकारों के हक व अधिकारों का निर्धारण होना शेष है और नामा० की फिक्सल कार्यवाही में हक व अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अधी० अपीलीय न्याया० द्वारा उक्त कानूनी स्थिति पर गौर किये बिना भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अपील स्वीकार कर अधी० अपीलीय न्याया० का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।



5-

अपने कथन के समर्थन में RRT 2003 (1) P-647 (HC), RRT 2003 (1) P-650 (HC), DNJ 1998 (Raj) P-767 (HC) रेस्पों सं० 4 व 5 के अभि० की बहस में कथन किया कि अधी० अपीलीय न्याया० द्वारा अधी० न्याया० का अभिलेख तलव नहीं किया, जो धारा 80 भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। मुस्लिम विरासत एवं उत्तराधिर विधि नियम 216 एवं मोहम्मदी वेगम बनाम मीर मेहदी अली ए०आई०आर० 1956 हैदराबाद 18 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया कि "यदि किसी उत्तराधिकारी के मृत हो जाने की दशा में उसका उत्तराधिकार संबंधी अधिकार नहीं मरता अपितु उसके मृत होने के पश्चात् उसका यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होता है।" अधी० न्याया० द्वारा उक्त कानूनी स्थिति पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतिरिक्त सभागीय आयुक्त
अजयपुर

- 6- अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) के अपीलान्ट अभि० सविता चौहान ने अपनी बहस में उक्त बहस का समर्थन किया तथा अपील स्वीकार कर अधी० अपीलीय न्याया० का निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
- 7- विद्वान वकील रेस्पों संख्या 1 लगायत 3 ने दोनों अपीलों के जवाब बहस में कथन किया कि अधी० अपीलीय न्याया० के समक्ष जिन नामा० को चुनौती दी गई है उनमें छोटूलाल रिकार्ड में नहीं है इसलिए छोटूलाल को अधी० अपीलीय न्याया० में प्रस्तुत अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधी० अपीलीय न्याया० ने दो नामा० के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार

किया है जो उचित व न्यायसंगत है। अधी० अपीलीय न्याया० के समक्ष सी०पी०सी० के प्रावधानों अनुसार अखबार में साया कराया जाकर तामीली करवाई गई है, जो युक्तियुक्त है। सलीम पुत्र फैययाज मो० व श्रीमती रहमत बेगम बेवा फैययाज मो० ने अपना हिस्सा बेचान कर दिया है तो उनको अपील करने का अधिकार नहीं रहा है। अधी०न्याया० द्वारा मुस्लिम विधि के प्रावधानों के अनुसार विधिवत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें।

- 8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलेखों, अधी०न्याया० के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ख०नं० 422 लगायत 437, 472, 473, 1759 कुल किता 19 कुल रकबा 45 बीघा 9 बिस्वा व आराजी ख०नं० 2816/421 उक्त आराजी पूर्व में सब्दल खां वल्द बहादुर खां के नाम दर्ज थी। सब्दल खां की मृत्यु के बाद उनके वारिसों के नाम नामा०सं० 1312 दिनांक 02.10.1999 एवं 1765 दिनांक 22.09.2004 ग्राम पंचायत मेजा द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त प्रकरण में मुख्य विवाद इस तथ्य को लेकर है कि मूल खातेदार सब्दल खां पुत्र बहादुर खां के जीवनकाल में उसके पुत्र फैययाज मो० का देहान्त होने की स्थिति में उसके वारिसान को उत्तराधिकार प्राप्त होगा अथवा नहीं। इस पर हमने मुस्लिम विरासत एवं उत्तराधिकार विधि नियम 216 (4) का अवलोकन किया जिसमें स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी के मृत हो जाने से उत्तराधिकार समाप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सब्दल खां पुत्र बहादुर खां के जीवनकाल में उसके पुत्र फैययाज मो० का देहान्त होने की स्थिति में उसके वारिसान को उत्तराधिकार प्राप्त होना स्पष्ट है। अधी० अपीलीय न्याया० द्वारा मुस्लिम विधि के उक्त प्रावधान के विपरीत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो अवैधानिक है। फैययाज मो० के वारिसान सलीम पुत्र फैययाज मो० व श्रीमती रहमत बेगम बेवा फैययाज मो० ने अपना हिस्सा छोटूलाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया है, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार प्राप्त था। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांत द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलों स्वीकार योग्य तथा अधी० अपीलीय न्याया० द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2016 खारिज किया जाना एवं ग्राम पंचायत मेजा द्वारा तस्दीक नामा०सं० 1312 दिनांक 02.10.1999 एवं 1765 दिनांक 22.09.2004 को यथावत रखा जाना उचित समझते हैं।


--:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 123/2016 (2016/00096) बउनवानी छोटूलाल बनाम वाईनूर खां व अन्य, अपील संख्या 68/2018 (2018/00068) बउनवानी सलीम खां व अन्य बनाम वाईनूर खां व अन्य को स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड




अतिरिक्त सभागीय आयुक्त अजमेर

अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 03/2016 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2016 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे।


(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 10.12.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

